FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0270 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/09/2026 15:52 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 24/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:55 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/09/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/09/2026 15:52:12 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 65 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLIC THANA SUMERPUR CITY, JILA PALI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PAPPURAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HEERARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHEEL BASTI NANA, NANA, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHEEL BASTI NANA, NANA, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DINESH KUMAR		पिता:PURKHARAM	1. DIWAN SAHAB KE PASS,,DHAMANIYO KA ARAT,BILARA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवा मे, श्रीमान एडीशनल एसपी साहब एसीबी पाली द्वितीय विषय- रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने के लिए। महोदय जी, उपरोकत विषय मे निवेदन है कि मै पप्पूराम पुत्र श्री हीराराम उम्र 25 वर्ष जाति गमेती निवासी भील बस्ती नाणा, पुलिस थाना नाणा, जिला पाली का निवासी हूं। मै श्री विक्रम सिह पुत्र श्री रतन सिह जाति राजपूत निवासी गलथनी पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली के खेत पर रखवाली व देखरेख् का काम करता हूं। विक्रम सिह एवं उसके भाईयों ने खिंदारा गांव मे खेत कास्त पर ले रखा है। मै आज से करीब एक महीने पहले गलथनी गांव से कुछ सामान लेकर मोटरसाईकिल से खिंदारा गांव जा रहा था कि रास्ते मे कोलीवाडा मोड पर स्कूटी से मेरा एक्सीडेंट हो गया उसके बाद उस स्कुटी वाले ने मेरे खिलाफ पुलिस थाना सुमेरपुर सिटी मे रिपोर्ट दी। जिस पर मेरे व स्कूटी वाले के बीच आपस समझौते की बात चली लेकिन स्कूटी वाले ने स्कुटी के नुकशान के ज्यादा पैसे मांगे, जिससे हम दोनो का समझौता नही हुआ। उसके बाद दिनांक 22-02-2026 को पुलिस थाना सुमेरपुर के दिनेश जी एएसआई साहब सरकारी जीप लेकर गलथनी गांव आये और मुझे उठाकर पुलिस थाने ले आये। उसके बाद विक्रम सिह भी पुलिस थाना सुमेरपुर आये और स्क्ूटी वाले भी पुलिस थाने आये। उसके बाद विक्रम सिह के रिश्तेदार शेर सिह ने मेरे व स्कूटी वाले का आपस मे समझौता करवा दिया तथा स्कूटी के नुकशान पेटे आठ हजार रूपये स्कूटी वाले को दिए। उसके बाद पुलिस थाने के एएसआई श्री दिनेश कुमार ने भी मेरे से पुलिस खर्चा पानी के आठ हजार और मांगे तो उस समय रूपये मेरे पास नही होने से एएसआई साहब ने मेरे को हवालात मे बंद कर दिया और मेरा मोबाईल रख दिया। उसके बाद मुझे एसडीएम कोर्ट मे पेश किया जहां पर विक्रम सिह ने मेरी जमानत करवाई। उसके बाद मै व विक्रम सिह वापस पुलिस थाने आये और मैने मेरा मोबाईल दिनेश कुमार एएसआई साहब से वापस मांगा तो दिनेश जी ने मुझे मेरा मोबाईल देने से मना कर दिया और मुझे और विक्रम सिह से कहा की जब तक पुलिस खर्चे के आठ हजार रूपये नही देगा तो मोबाईल नही दूंगा। मै जब तक दिनेश जी एएसआई साहब को आठ हजार रूपये नही दूंगा तब तक वो मुझे मेरा मोबाईल नही देंगे। मै दिनेश जी एएसआई साहब को पुलिस खर्चा पानी के रूप मे रिश्वत नही देना चाहता हूं उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरे व श्री दिनेश कुमार एएसआई साहब का आपस मे कोई रूपये पैसों का लेन देन बकाया नही है और ना ही कोई आपसी रंजीश है। अत मेरी रिपोर्ट पर कारवाई करावे। प्रार्थी -एसडी- पप्पू राम पुत्र श्री हीराराम जाति गरासिया, निवासी भील बस्ती नाणा, पुलिस थाना नाणा, जिला पाली दिनांक 23-02-2026 कार्यवाही पुलिस दिनांक 23-02-2026 समय 09-30 एएम दर्ज रहे कि ब्यूरो मुख्यालय के टोल फ्री नम्बर पर परिवादी श्री देवेंद्र सिह निवासी गलथनी द्वारा की गई शिकायत के क्रम मे परिवादी से संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23-02-2026 वक्त 09-26 एएम पर श्री खींव सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निदे्रशित किया गया तथा परिवादी श्री देवेंद्र सिह के मोबाईल नंबर अवगत करवाये। ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशों की पालना मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री देवेंद्र सिह के मोबाईल नंबर पर वार्ता की तो परिवादी ने लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि मांगने की शिकायत की तथा परिवादी ने पाली एसीबी आफिस आने मे असमर्थता जाहिर की परिवादी के बताये तथ्यों से मामला एक लोक सेवक द्वारा रिश्वत राशि मांग की श्रेणी का होने से प्रथमत रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात श्री भवानी सिह हैड कानि को परिवादी श्री देवेंद्र सिह के मोबाईल नंबर देकर निर्देशित किया कि सुमेरपुर पहुंच परिवादी से संपर्क कर उसके द्वारा की गई शिकायत के क्रम मे रिश्वत राशि मांग की रिपोर्ट एवं परिवादी के फोटो पहचान पत्र की प्रति प्राप्त कर अपने कब्जे मे रखे। तत्पश्चात रिपोर्ट के क्रम मे रिश्वत राशि मांग के गोपनीय सत्यापन की कारवाई अमल मे लावे। तत्पश्चात श्री भवानी सिह हैड कानि को कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड देकर समय 10-30 एएम सुमेरपुर के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 24-02-2026 समय 05-30 पीएम पर श्री भवानी सिह हैड कानि पूर्व के निर्देशानुसार बाद गोपनीय सत्यापन के सुमेरपुर से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा पूर्व का सुपुर्द किया हुआ डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के बंद हालत मे व परिवादी द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट व आधार कार्ड की फोटो प्रतियां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मै श्रीमान के निदे्रशानुसार रिश्वत राशि मांग की कारवाई के लिए कस्बा सुमेरपुर से बाहर जवाई बांध रोड पर पहूंचा जहां पूर्व का पाबंदशुदा श्री देवे्रद्र सिह अपने भाई विक्रम सिह व परिवादी श्री पप्पूराम के साथ उपस्थित मिला श्री देवेंद्र सिह ने बताया कि मैने ही एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 पर काल

किया था, मेरे भाई विक्रम सिह व पप्पूराम से पुलिस सुमेरपुर सिटी के एएसआई श्री दिनेश कुमार रिश्वत मांग रहे है। तत्पश्चात श्री पप्पूराम व विक्रमसिंह ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत की उपस्थिति के बारे में मालुमात किया तो परिवादी के साथ श्री विक्रमसिंह ने एएसआई के बारे में जानकारी ज्ञात कर बताया कि श्री दिनेश कुमार एएसआई पुलिस थाना सुमेरपुर सिटी मे नही है तथा किसी सरकारी काम से कही बाहर गये है, कल सुबह तक आयेंगे। उसके बाद मैने जरिये मोबाईल आपको समस्त हालात बताये तथा श्रीमान के निर्देशानुसार मैने परिवादी व विक्रमसिंह एंव देवेन्द्रसिंह को कस्बा सुमेरपुर से बाहर जवाई बांध् रोड पर ही कल दिनांक 24-02-2026 को मिलने की समझाईश कर रूकसत किया तथा मैं सुमेरपुर के आस पास ही गोपनीय स्थान पर रात्रि मुकिम रहा। दिनांक 24-02-2026 को वक्त 10.30 पर मैं सुमेरपुर सिटी से बाहर जवाई बांध रोड पर पंहुचा, जंहा पर पूर्व के पाबंदशुदा परिवादी श्री पप्पूराम व श्री विक्रमसिंह उपस्थित मिले तत्पश्चात परिवादी श्री पप्पूराम व विक्रमसिंह को एसओ की उपस्थिति ज्ञात करने का कहा तो विक्रमसिंह ने जानकारी ज्ञात कर बताया कि अभी दिनेश कुमार एएसआई पुलिस थाना सुमेरपुर सिटी में नही है तथा श्री दिनेश कुमार एएसआई की उपस्थिति के बारे में जानकारी विक्रमसिंह को ज्ञात होने पर वक्त करीब 01-10 पीए पर बताया कि दिनेश् कुमार एएसआई पुलिस थाना सुमेरपुर सिटी में आ गये है। तत्पश्चात मैं परिवादी पप्पूराम व विक्रमसिंह मेरे निजी वाहन से पुलिस थाना सुमेरपुर सिटी के थोडा नजदीक पंहुचे जंहा पर मैने मेरे पास हमराह लाया हुआ कार्यालय का डीजीटल वॉईर रिकॉर्डर निकालकर उसमें नया मैमोरी कार्ड डालकर रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री पप्पूराम व विक्रमसिंह को सुपुर्द कर पुलिस थाना सुमेरपुर सिटी की तरफ रवाना किया तथा मै पुलिस थाने के आस पास ही गोपनीय स्थान पर गोपनीयतता बरतते हुए मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री पप्पूराम व विक्रमसिंह गोपनीय स्थान पर मेरे पास उपस्थित आये जिनसे मैने कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्रापत् कर स्पीच ऑफ कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। उसके बाद मैं व परिवादी पप्पूराम एंव विक्रमसिंह मेरे निजी वाहन से पुलिस थाने के पास से रवाना होकर जवाई बांध् रोड पर स्थित महावीर हॉस्पीटल के पास गोपनीय स्थान पर पंहुचे जंहा पर श्री विक्रमसिंह ने मुझे बताया कि हम आपके पास से सीधा थाने में गये तो दिनेशजी एएसआई साहब हमें अपने कमरे में मिले तो मैंने उनको श्री प्पूराम का फोन देने का कहा तो दिनेशजी एएसआई साहब ने कहा कि दे दूंगा अपने आप, आप टेंशन मत करो। मैंने एएसआई साहब को कहा कि यह गरीब है नाणा से कई वर्षो से हमारे पास ही है तभी दिनेशजी एएसआई साहब ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे तनख्वाह से पैसे देंउ, तेरे को शरम नही आई, उस दिन रात को जाकर जमानत करवाई पुलिस का खर्चा नही दिया, मैने एएसआई साहब को कहा कि अभी हमारे पास नहीं है, मेरा भाई मानसिंह मंडी गया है, उसके बाद मैने एएसआई साहब को कहा कि थोडा हिसाब से कराओ तो एएसआई साहब ने कहा कि जो भी आप मेरे को देना चाहते हो वो लेकर आ जाओ, उसके बाद दिनेश जी एएसआई साहब ने मेरे भाई मानसिंह से फोन पर बात की तो मानसिंह ने कहा कि मण्डी से पैसे नही मिले है जिस पर दिनेशजी एएसआई साहब ने कहा कि जो भी लिया पांच एक लिया। उसके बाद मैंने मेरे फोन से वापिस श्री दिनेशजी एएसआई साहब की मेरे भाई मानसिंह से बात करवायी तों दिनेशजी ने कहा कि सुबह फिर कॉल करेगा, आज ही नही कर रहे हो, मानसिंह ऐसे नही होता, बातो से पेट नही भरता आदि बात कही। उसके बाद मैने दिनेश्जी एएसआई साहब को कहा कि अभी मेरे पास तो पांच सौ रूपये है, तो दिनेशजी एएसआई साहब ने मेरे से पांच सौ रूपये ले लिये। उसके बाद मैने दिनेशजी एएसआई साहब को पप्पूराम का मोबाईल देने का कहा तो दिनेश्जी एएसआई साहब ने प्पूराम को कहा कि मेरी बात सुन तुने आठ हजार रूपये तो एक्सीडेंट वाले को दिये, देवासी स्कूटी वाले को शेरसिंह ने दिये, तथा दो हजार रूपये कोर्ट मे तेरी जमानत के दिये। दिनेशजी एएसआई साहब ने यह भी कहा कि तू तेरे मुह से बोल कितना देगा, आठ हजार कहके गया है तु, क्या करेगा, मुह से बता दे या लाके ये देगा। जिस पर पप्पूराम ने कहा कि हिसाब से करो, तो दिनेशजी एएसआई साहब ने कहा कि कितना देगा, तू तेरे मन से कह दे, जिस पर पप्पूराम ने पांच हजार देने का कहने पर दिनेश् जी एएसआई साहब ने पप्पूराम का मोबाईल लौटा दिया। उसके बाद दिनेशजी एएसआई साहब ने मेरे मोबाईल नम्बर लिये तथा कहा कि मानसिंह को बोल देना कि साहब को पांच हजार देने है। श्री दिनेश् कुमार जी एएसआई साहब ने जाते जाते मेरे को कहा कि आप व्यस्त् रहो तो मानसिंह को भेज देना, आपको आने की जरूरत नहीं है आदि वार्ता की। उसके बाद आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री पप्पूराम व श्री विक्रमसिंह को रिश्वत राशि पांच हजार रूपये की व्यवस्था करने की हिदायत कर वंही से रूकसत किया। तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन किया तो परिवादी द्वारा एक टाइ्रपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि मै पप्पूराम पुत्र श्री हीराराम उम्र 25 वर्ष जाति गमेती निवासी भील बस्ती नाणा, पुलिस थाना नाणा, जिला पाली का निवासी हूं। मै श्री विक्रम सिह पुत्र श्री रतन सिह जाति राजपूत निवासी गलथनी पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली के खेत पर रखवाली व देखरेख् का काम करता हूं। विक्रम सिह एवं उसके भाईयों ने खिंदारा गांव मे खेत कास्त पर ले रखा है। मै आज से करीब एक महीने पहले गलथनी गांव से कुछ सामान लेकर मोटरसाईकिल से खिंदारा गांव जा रहा था कि रास्ते मे कोलीवाडा मोड पर स्कूटी से मेरा एक्सीडेंट हो गया उसके बाद उस स्कुटी वाले ने मेरे खिलाफ पुलिस थाना सुमेरपुर सिटी मे रिपोर्ट दी। जिस पर मेरे व स्कूटी वाले के बीच आपस समझौते की बात चली लेकिन स्कूटी वाले ने स्कुटी के नुकशान के ज्यादा पैसे मांगे, जिससे हम दोनो का समझौता नही हुआ। उसके बाद दिनांक 22-02-2026 को पुलिस थाना सुमेरपुर के दिनेश जी एएसआई साहब सरकारी जीप लेकर गलथनी गांव आये और

मुझे उठाकर पुलिस थाने ले आये। उसके बाद विक्रम सिह भी पुलिस थाना सुमेरपुर आये और स्कूटी वाले भी पुलिस थाने आये। उसके बाद विक्रम सिह के रिश्तेदार शेर सिह ने मेरे व स्कूटी वाले का आपस मे समझौता करवा दिया तथा स्कूटी के नुकशान पेटे आठ हजार रूपये स्कूटी वाले को दिए। उसके बाद पुलिस थाने के एएसआई श्री दिनेश कुमार ने भी मेरे से पुलिस खर्चा पानी के आठ हजार और मांगे तो उस समय रूपये मेरे पास नही होने से एएसआई साहब ने मेरे को हवालात मे बंद कर दिया और मेरा मोबाईल रख दिया। उसके बाद मुझे एसडीएम कोर्ट मे पेश किया जहां पर विक्रम सिह ने मेरी जमानत करवाई। उसके बाद मै व विक्रम सिह वापस पुलिस थाने आये और मैने मेरा मोबाईल दिनेश कुमार एएसआई साहब से वापस मांगा तो दिनेश जी ने मुझे मेरा मोबाईल देने से मना कर दिया और मुझे और विक्रम सिह से कहा की जब तक पुलिस खर्चे के आठ हजार रूपये नही देगा तो मोबाईल नही दूंगा। मै जब तक दिनेश जी एएसआई साहब को आठ हजार रूपये नही दूंगा तब तक वो मुझे मेरा मोबाईल नही देंगे। मै दिनेश जी एएसआई साहब को पुलिस खर्चा पानी के रूप मे रिश्वत नही देना चाहता हूं उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरे व श्री दिनेश कुमार एएसआई साहब का आपस मे कोई रूपये पैसों का लेन देन बकाया नही है और ना ही कोई आपसी रंजीश है। अत मेरी रिपोर्ट पर कारवाई करावे। तत्पश्चात डिजिटल रिकार्डर चालू कर वार्ता को सूना तो वार्ता मे श्री दिनेश कुमार एएसआई द्वारा परिवादी श्री पप्पूराम से रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया तथा मांग सत्यापन वार्ता के सूनने से परिवादी की रिपोर्ट मे अंकित तथ्यों का प्रमाणिकता होना व एसओ द्वारा लोकसेवक होते हुए वैध पारितोषण से भिन्न रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट प्रकट होता है। तत्पश्चात परिवादी की रिपोर्ट व परिवादी की आईडी प्रूफ की प्रति एवं डिजिटल वायस रिकार्डर मे से मैमोरी कार्ड निकालकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा तथा आईदा रिकार्डिंग वार्ता की रूबरू गवाहान व परिवादी श्री पप्पूराम व विक्रम सिह के फर्द ट्रांसिक्रीप्ट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया जायेगा। श्री भवानी सिह हैड कानि के बताये अनुसार एवं परिवादी की रिपोर्ट के अवलोकन से परिवादी श्री पप्पूराम जो अनपढ व्यक्ति है तथा परिवादी पप्पूराम श्री विक्रम सिह के खेत मे रखवाली/ देखरेख का कार्य करता है। परिवादी को पुलिस थाना सुमेरपुर मे बंद हवालात करने पर श्री विक्रम सिह द्वारा ही परिवादी श्री पप्पुराम की जमानत दी गई थी तथा एसओ श्री दिनेश कुमार, पप्पूराम का मोबाईल देने व आईदा परिवादी को नही पकडने की एवज मे रिश्वत राशि श्री विक्रम सिह व विक्रम सिह के भाई मानसिह के माध्यम से ही मांग रहा है तथा लेने के तथ्य भी मांग सत्यापन वार्ता से प्रकट हुए है तथा रिश्वत राशि मांग की शिकायत ब्यूरो की हैल्पलाईन नंबर नंबर 1064 पर श्री देवेंद्र सिह द्वारा की गई थी। इस प्रकार के तथ्य प्रकट होने से प्रकरण मे श्री विक्रम सिह को भी सहपरिवादी के रूप मे रखे जाने व परिवादी की रिपोर्ट पर विक्रम सिह के भाई श्री मान सिह एवं 1064 पर शिकायत कर्ता श्री देवेंद्र सिह के हस्ताक्षर करवाये जाकर प्रकरण मे गवाह के रूप मे रखे जाने का निर्णय लिया गया तथा समस्त हालात उच्चधिकारियों को निवेदन किये गये। निदे्रशानुसार आईंदा आवश्यक कारवाई अमल मे लाई जावेगी। तत्पश्चात दिनांक 24-02-2026 समय 07-10 पीएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के रिकार्डर का मैमोरी कार्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे से निकालकर मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लैपटाप को जोडकर मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता को कार्यालय के लैपटाप से सेव करवाया गया। ततपश्चात मूल मैमोरी कार्ड को लैपटाप मे से निकालकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे कार्यालय की अलमारी के लाकर मे सुरक्षित रखा। तत्पश्चात श्री भवानी सिह हैड कानि को निर्देशित किया कि लेपटाप मे उक्त सेव वार्ता को सुन सुन कर वार्ता के शब्दों का शब्द ब शब्द हुबहु टंकण क्म्पयुटर के माध्यम से करे। तत्पश्चात दिनांक 25-02-2026 समय 01-05 पीएम पर उपरोक्त कारवाई के क्रम मे गवाह की आवश्यकता होने से आयुक्त नगर निगम पाली के नाम तहरीर जारी कर श्री नारायण सिह कानि चालक को नगर निगम पाली के लिए रवाना किया गया। जिसके क्रम मे श्री नारायण सिह कानि चालक नगर निगम पाली से गवाह श्री अमरचंद वरिष्ठ लिपिक व श्री अशोक नवल कनिष्ठ अभियंता नगर निगम पाली को लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। दोनो गवाह को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली गोपनीय कारवाई मे स्वतंत्र गवाह रहने के लिए पाबंद कर मुख्यालय नही छोडने व ब्यूरो कार्यालय द्वारा तलब किये जाने पर तुरंत कार्यालय हाजा उपस्थित आने की हिदायत कर जाय तैनाती रूखसत किया। तत्पश्चात दिनांक 26-02-2026 समय 11-30 एएम पर उपरोक्त फिकरा के निदे्रशानुसार श्री भवानी सिह हैड कानि ने रिश्वत राशि मांग सतयापन वार्ता से संबंधित मैमोरी कार्ड की वार्ता टंकण कर टंकण की हार्ड कॉपी का प्रीन्ट निकालकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टंकणीय शब्दों का मिलान रिकार्ड वार्ताओं से किया जाकर टंकण की साफट कॉपी लैपटाप मे सुरक्षित सेव करवाई गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता गवाह व परिवादी व सह परिवादी की उपस्थिति मे टंकणिय शब्दों का मिलान कर फर्द ट्रासक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जायेगी। तत्पश्चात दिनांक 26-02-2026 समय 01-20 पीएम पर परिवादी श्री पप्पूराम व सह परिवादी श्री विक्रम सिह ब्यूरो कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। परिवादी श्री पप्पूराम व सह परिवादी श्री विक्रम सिह से उनके द्वारा पूर्व मे दिनांक 23-02-2026 को सुमेरपुर मे श्री भवानी सिह को दी गई रिपोर्ट के संबंध मे पूछने पर बताया कि उक्त रिपोर्ट उनके द्वारा किसी मिलने वाले ई मित्र की दूकान पर रिपोर्ट टाईप करवाई है तथा उक्त रिपोर्ट विक्रम सिह ने टाईप करवाना बताया साथ ही बताया कि पप्पूराम उनके काश्त पर लिये गये खेत मे मजदूरी करता है तथा पढा लिखा बिलकुल भी नही है तथा आदिवासी गमेती जाति का होने से बहूत ही कम जानकारी रखता है। परिवादी श्री पप्पूराम व सह

परिवादी श्री विक्रम सिह से पुछताछ करने पर रिपोर्ट मे अंकित तथ्य ही बताये तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय एसओ से हुई बातचीत के तथ्य श्री भवानी सिह हैड कानि द्वारा बताये उनकी ताईद मे ही तथ्य बताये। तत्पश्चात दिनांक 26-02-2026 समय 01-30 पीएम पर ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कारवाई मे पूर्व के पाबंदशुदा गवाह श्री अमरचंद वरिष्ठ लिपिक व श्री अशोक नवल कनिष्ठ अभियंता नगर निगम पाली तलविदा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। दोनो गवाह व परिवादी श्री पप्पूराम व सह परिवादी श्री विक्रम सिह का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी की रिपोर्ट दोनो गवाह को पढाई गई तथा परिवादी की रिपोर्ट के क्रम मे करवाये गये गोपनीय सत्यापन से संबंधित वार्ता को लैपटाप के माध्यम से सुनवाया गया। तत्पश्चात परिवादी की रिपोर्ट के क्रम मे ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रेप कारवाई मे स्वतंत्र गवाह रहने का कहने पर दोने ा गवाहों ने मौखिक सहमति प्रदान की तथा परिवादी की रिपोर्ट पर अपने अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। उसके बाद इस कारवाई से संबंधित रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तेयार किया जाना शेष होने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो दिनांक 24-02-2026 को रिकार्ड करवायी गई थी, उक्त रिकार्डिंग वार्ता को पूर्व मे शब्द ब शब्द टंकण करवाया जा चुका है, जो कार्यालय के लैपटाप मे सेव है। उक्त टंकणिय शब्दों के मिलान हेतु रिकार्ड वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के अलमारी के लोकर से निकालकर लैपटाप से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को रिकार्ड वार्ता को लैपटाप के इनबिल्ड स्पीकर से सुन सुन कर शब्द ब शब्द मिलान करवाकर फर्द ट्रांसंक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी व सह परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाह के रूबरू वक्त 02-10 पीएम पर तेयार करना प्रारंभ् किया गया। परिवादी व सह परिवादी ने रिकार्ड वार्ताओं मे आवाज की पहचान स्वयं की, श्री दिनेश कुमार एएसआई की व श्री मान सिह की होना पहचान की। उक्त फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त् 05-50 पीएम तक पूर्ण कर फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कारवाई किया गया। मूल मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता को कार्यालय के लैपटाप से दो डब/ कॉपी तैयार की गई। मांग सत्यापन के मूल मैमोरी कार्ड की हैश वैल्यू निकाली गई तथा इस संबंध मे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कारवाई किया गया। इस वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को प्लास्टिक की एक डिब्बी मे डालकर कपडे की थैली मे शिल्ड किया गया, थैली पर ईबारत लिखकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा दोनो डब पैन ड्राईव को खुली हालत मे रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड का शील्ड शुदा पैकेट व दोनो पैन ड्राईव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे कार्यालय हाजा की अलमारी मे सुरक्षित रखे। तत्पश्चात दिनांक 26-02-2026 समय 05-55 पीएम पर परिवादी श्री पप्पूराम व सह परिवादी श्री विक्रम सिह को एसओ द्वारा मांगी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे मे पुछा तो विक्रम सिह ने बताया कि रिश्वत मे दिये जाने वाले रूपयों की व्यवस्था नही होने से आज हम साथ लेकर नही आये है तथा आईंदा जब एएसआई मेरे भाई श्री मान सिह व श्री देवेंद्र सिह को फोन करेंगें उस समय हम एएसआई साहब द्वारा मांगे गये रूपये देने जायेंगें। साथ ही बताया कि हमारी फसल कटाई का काम चल रहा है, हम अभी थोडा फसल कटाई के काम मे व्यस्त है इस कारण कुछ दिन रूकने के बाद कारवाई करने का कहा। परिवादी व सह परिवादी के बताये अनुसार कारवाई को उनके आगामी सूचना तक पैंडिंग रखने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री पप्पूराम व सह परिवादी श्री विक्रम सिह को कारवाई के संबंध मे गोपनीयता की हिदायत कर ईजाजत वापसी दी गई। तत्पश्चात समय 06-05 पीएम पर गवाह श्री अमरचंद वरिष्ठ लिपिक व श्री अशोक नवल कनिष्ठ अभियंता नगर निगम पाली को गोपनीयता एवं उक्त कारवाई मे आर्इंदा तलब किये जाने पर शीघ्र ही कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के पाबंद कर ईजाजत जाय तैनाती किया गया। तत्पश्चात श्री खींवसिंह अतिरिक्त् पुलिस अधीक्षक ब्यूरो मुख्यालय के विशेष प्रकरण मे व्यस्त रहे इस कारण इस कारवाई मे प्रगति नही की जा सकी। कारवाई मे परिवादी से संपर्क कर प्रगति चाही गई लेकिन परिवादी का फोन बंद आने के कारण वार्ता नही हो सकी तथा श्री भवानी सिह हैड कानि को निर्देशित किया गया कि परिवादी से संपर्क करने का प्रयास करे ज्योंहि संपर्क होता है तथा वार्ता होती है तो सह परिवादी से सूचना प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करावे। परिवादी से संपर्क नही होने पर आईंदा परिवादी के निवास पर संपर्क कर आवश्यक कारवाई अमल मे लाई जावेगी। समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात दिनांक 17-03-2026 समय 02-30 पीएम पर दर्ज रहे कि इस लंबित कारवाई मे परिवादी व सह परिवादी से फोन पर संपर्क नही होने के कारण परिवादी व सह परिवादी से संपर्क कर आगामी कारवाई हेतु श्री खीवंसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री लक्ष्मण दान एएसआई, श्री भवानी सिह हैड कानि जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री नारायण सिह मय लैपटाप पि्रंटर आवश्यक सामग्री उपकरण सहित कार्यालय हाजा से रवाना शुदा होकर गांव जाखोडा से बाहर गोपनीय स्थान पर पहुंचे, जहां पर पूर्व से निर्देशानुसार श्री देवेंद्र सिह व मान सिह भी उपस्थित मिले। उसके बाद श्री देवेंद्र सिह से ब्यूरो के टोल फ्री नंबर पर की गई शिकायत के क्रम मे पुछने पर बताया कि मेरे द्वारा ही ब्यूरो के टोल फ्री नंबर पर रिश्वत राशि मांग की इस शिकायत की रिपोर्ट मेरे भाई विक्रम सिह ने उसके किसी मिलने वाले ई मित्र से टाईपिंग करवाई है, साथ ही बताया कि दिनांक 23-02-2026 को जब आप से बात हुई और बाद मे आपके आफिस से श्री भवानी सिह सुमेरपुर आये थे तब मै व हमारे खेत मे मजदुरी करने वाला पप्पूराम एवं मेरा भाई विक्रम सिह तीनो ही साथ मे थे तथा श्री भवानी सिह से मिले थे उस दिन आपके स्टाफ श्री भवानी सिह को शिकायत की रिपोर्ट देने के बाद मेरे भाई विक्रम सिह ने एएसआई श्री दिनेश कुमार की उपस्थित के बारे मे जानकारी की तो उस दिन श्री दिनेशजी एएसआई सुमेरपुर से कही बाहर होना ज्ञात हुआ था।

उसके बाद श्री भवानी सिह ने श्री पप्पूराम व विक्रमसिंह को दिनांक 24-02-2026 को सुबह करीब 10-00 से 10-30 बजे जवाई बांध रोड पर ही मिलने का कहा तथा उसके बाद हम तीनो अपने घर चले गये। उसके बाद पास ही खडे श्री मानसिंह से पुछा गया तो उसने बताया कि दिनांक 24-02-2026 को मेरा भाई विक्रमसिंह व श्री पप्पूराम पुलिस थाने में एएसआई दिनेशजी से मिलने गये तब मेरे भाई विक्रमसिंह ने अपने फोन पर दिनेशजी से बात करवाई थी। तब श्री दिनेशजी ने रूपये देने की बात की थी। अत मामले मे पुछताछ से हालात इस प्रकार प्रकट होते है कि परिवादी श्री पप्पूराम जो कि सह परिवादी श्री विक्रमसिंह व टोल फ्री नम्बर पर शिकायतकर्ता श्री देवेन्द्रसिंह के खेत में रखवाली/देखरेख का काम करता है। परिवादी पप्पूराम अनपढ है तथा ज्यादा जानकार भी नहीं है, एसओ परिवादी से उसके द्वारा किये गये एक्सीडेंट के मामले में पार्टी से सीधे ही राजीनामा करने से नाराज हो जाता है तथा परिवादी पप्पूराम को निरोधात्मक कार्यवाही में बंद कर देता है, उस समय परिवादी पप्पूराम के मोबाइल को एसओ द्वारा उचन्ति में ही अपने पास रख लिया जाता है, जिसे वापस परिवादी पप्पूराम को देने व आईन्दा परिवादी पप्पूराम को नहीं पकडने की एवज में एसओ श्री दिनेश कुमार एएसआई द्वारा रिश्वत की मांग परिवादी के जमानती श्री विक्रमसिंह व परिवादी के सेठ श्री देवेन्द्रसिंह व मानसिंह से किये जाने के तथ्य प्रकट होने से कार्यवाही में परिवादी श्री पप्पूराम के साथ सह परिवादी श्री विक्रमसिंह को रखे जाने का निर्णय लिया गया, तथा श्री देवेन्द्रेसिंह व मानसिंह को भी इस कार्यवाही में गवाह के रूप में रखे जाने का निर्णय लिया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात श्री देवेन्द्रंसिंह व श्री मानसिंह को परिवादी श्री पप्पूराम व सह परिवादी श्री विक्रमसिंह के बारे में पूछने पर बताया कि अभी खेत में फसल कटाई का काम चल रहा है तथा वो दोनो हमारे कास्त पर दिये हुए खेत मे ही होंगे। फसल कटाई का काम चल रहा है तथा मौसम ख्राब है बारिश् का मौसम हो रखा है, बारिश हो गई तो हमारी सारी फसल खराब हो जायेगी तथा हमारे नुकसान हो जायेगा। इस कारण इस कार्यवाही के लिये थोडे दिन और रूकने का कहा। श्री देवेन्द्रेसिंह व श्री मानसिंह के आग्रह एंव उनके कार्य की महता के मददेनजर कार्यवाही को परिवादी की आगमी सूचना तक लंबित रखे जाने का निर्णय लिया गया। श्री देवेन्द्रसिंह को गोपनीयता की हिदायत कर आगामी कार्यवाही के क्रम में शीघ्र ही अपने जरूरी कार्य से फ्री होकर तथा एसओ द्वारा यदि सम्पर्क किया जाता है तथा एसओ रिश्वत राशि के लिये बुलाता है तो सूचना से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या श्री भवानी सिंह को बताने की हिदायत की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य गोपनीय राजकार्य में व्यस्त् हुआ तथा हालात उच्चधिकारियो को निवेदन किये गये तथा कारवाई के सबंध् में आगामी सूचना के क्रम में आवश्यक कारवाई आईन्दा अमल में लाई जावेगी। तत्पश्चात दिनांक 05-05-2026 समय 11-30 एएम पर दर्ज रहे परिवादी श्री पप्पूराम व सह परिवादी श्री विक्रमसिंह द्वारा दी गई रिश्वत राशि मांग की रिपोर्ट के क्रम में आवश्यक अग्रिम कारवाई लम्बित होने तथा परिवादी व सह परिवादी द्वारा कार्यालय हाजा पर सम्पर्क नहीं करने व किसी प्रकार की सूचना से भी अवगत नही करने से इसके क्रम में परिवादी व सहपरिवादी से सम्पर्क करने के लिये श्री भवानीसिंह हैड कानि को सुमेरपुर की तरुफ रवाना किया गया था, जिसके क्रम में श्री भवानीसिंह हैड कानि को शिकायतकर्ता श्री देवेन्द्रसिंह से सम्पर्क कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मैने परिवादी श्री पप्पूराम व सहपरिवादी श्री विक्रमसिंह के मोबाईल पर सम्पर्क किया लेकिन दोनो के मोबाईल पर सम्पर्क नहीं होने से इस सबंध में 1064 पर शिकायतकर्ता श्री देवेन्द्रसिंह से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि पप्पूराम व विक्रमसिंह बाहर गये हुए है उनके वापस आते ही उनको लेकर मैं दो तीन दिन में एसीबी ऑफिस पाली आ जाउंगा। श्री भवानीसिंह के बताये अनुसार परिवादी व सहपरिवादी के आने तक कारवाई को लबित रखा गया तथा उनके उपस्थित आने पर अग्रिम कारवाई अमल में लायी जावेगी। तत्पश्चात दिनांक 13-05-2026 को श्री खींवसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का स्तानांतरण हो जाने से पत्रावली श्री धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पत्रावली सुपुर्द की गई तत्पश्चात श्री धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी परिवादी से सम्पर्क करने के प्रयास किये लेकिन परिवादी से सम्पर्क नहीं हो सका। ततपश्चात दिनांक 15-06-2026 को मन देरावर सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को चौकी हाजा का प्रभार दिये जाने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकी हाजा का कार्यभार ग्रहण किया गया, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को उक्त गोपनीय कार्यवाही की पत्रावली प्राप्त हुई। तत्पश्चात दिनांक 24-07-2026 को परिवादी व सह परिवादी से सम्पर्क करने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण्दान एएसआई, श्री भवानीसिंह हैड कानि जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री नारायणसिंह कानि के सह परिवादी के गांव गलथनी पंहुचा तथा सह परिवादी श्री विक्रमसिंह के घर जाकर मालूमात किया तो सह परिवादी श्री विक्रमसिंह अपने घर उपस्थित मिला। तत्पश्चात इस कार्यवाही में अन्य सह परिवादी श्री देवेन्द्रसिंह व मानसिंह को भी तलब करने पर सह परिवादी श्री विक्रमसिंह के घर उपस्थित आये। तत्पश्चात उपस्थित तीनों सह परिवादियों को इस कारवाई में परिवादी श्री पप्पूराम के बारे में पूछने पर बताया कि पप्पूराम पहले हमारे खेत में ही कास्तकारी का काम करता था जो अब हमारे साथ काम नहीं करता है, कहीं दूसरी जगह पर लगा हुआ होगा, तथा कहा लगा हुआ है इस बारे मे भी जानकारी नहीं है। साथ ही पप्पूराम द्वारा मोबाईल फोन अटेंण्ड नहीं करने की बात बताई। तत्पश्चात विक्रमसिंह से आगे की कारवाई बाबत कहने पर बताया कि पप्पूराम अब हमारे पास नहीं है और मैं अब आगे कोई कारवाई नही करवाना चाहता हूं, तथा पप्पूराम आदिवासी व्यक्ति है उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। श्री दिनेशजी एएसआई साहब का ट्रांसफर भी सुमेरपुर थाने से दूसरी जगह हो गया है। तथा सह परिवादियो ने आगे कार्यवाही नहीं करने

का प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। इस कारवाई में परिवादी श्री पप्पूराम से सम्पर्क नहीं होने व सह परिवादियों द्वारा आगे की कारवाई नहीं करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा एसओ श्री दिनेश् कुमार एएसआई का स्थानांतरण भी अन्यत्र हो जाने से रिपोर्ट के क्रम में आगे की कारवाई सम्भव नहीं होने के कारण कारवाई को यहीं विराम देकर हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन किये गये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। तत्पश्चात दिनांक 25-07-2026 को इस कारवाई से सबंधित मालखाना वजह सबुत मालखाना प्रभारी श्री भवानीसिंह हैड कानि को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से अब तक की गई कारवाई से एसओ श्री दिनेश कुमार एएसआई पुलिस थाना सुमेरपुर सिटी द्वारा परिवादी श्री प्पूराम को किसी मामले मे गिरफतार करने के दौरान रखवाये गये परिवादी के मोबाईल को वापस लौटाने की एवज मे पुलिस खर्चे के रूप मे रिश्वत राशि की मांग करते हुए पांच हजार रूपये रिश्वत राशि देना तय कर परिवादी का मोबाईल वापस लौटाया तथा तय की गई रिश्वत राशि देने के लिए सह परिवादी विक्रम सिह के भाई मान सिह को फोन करवाकर सहमति भी दिलवाई गई आदि तथ्यों से आरोपी श्री दिनेश कुमार एएसआई द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट प्रमाणित पाया जाता है। इस प्रकार रिश्वत राशि मांग सत्यापन से एक लोकसेवक द्वारा अपने वैध पारितोषण से भिन्न पारितोषण प्राप्त करने की मंशा से रिश्वत राशि की मांग करना पाया जाने पर श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री पुरखाराम उम्र 48 वर्ष निवासी दीवान साहब के पास, धामाणियों का अरट, पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर ग्रामीण राजस्थान तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सुमेरपुर सिटी जिला पाली हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सोजत सिटी जिला पाली का उक्त क्रत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री दिनेश कुमार एएसआई के विरूदध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे। (देरावर सिह)अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,पाली द्वितीय.....कार्यवाही पुलिस........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री देरावर सिह, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,पाली द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री पुरखाराम, उम्र 48 वर्ष निवासी दीवान साहब के पास, धामाणियों का अरट, पुलिस थाना बिलाडा, जिला जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सुमेरपुर सिटी, जिला पाली हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विशाल कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 337 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1553-56 दिनांक 24-09-2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- पुलिस अधीक्षक, पाली 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VISHAL KUMAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/09/2026 15:55:05

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)